न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2020

बउनवान

दलपतसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी गोदावरी तहसील मांगरोल जिला बारां राज0
(अपीलांट)

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति तेली
2. चन्द्रशेखर पुत्र कन्हैयालाल जाति तेली
3. बद्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति तेली निवासी काला मन्दिर के पास पटेल चौक सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

(रेंस्पोडेंट)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 581 दिनांक 10.12.2018 नायब तहसीलदार सीसवाली अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 18.07.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व अन्य वादीगण ने एक वाद वास्ते घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में रेस्पो. क्रम 1 ता 3 व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर रखा है। उक्त वाद पत्र के साथ अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2010 को आराजी की वर्तमान राजस्व स्थिति ताफैसला वाद यथास्थिति रखी जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट ने अपने वाद पत्र में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2007 को अपने विरूद्ध बेअसर व शून्य होने की प्रार्थना चाही है। वाद अभी विचाराधीन है। उक्त निषेधाज्ञा प्रभावी होने की स्थिति में भी रेस्पो. क्रम 4 ने रेस्पो. क्रम 1 ता 3 जो कि वादपत्र में प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 12, 13, 14 के हक में इन्तकाल नंबर 581 दिनांक 10.12.2018 को तस्दीक कर दिया जो कि विरूद्ध कानून होने से खारिज किये जाने योग्य है। इन्तकाल नंबर 581 में दर्ज आराजी कुल किता 4 रकबा 2.59 है. वाके माल पापड़ली में अपीलांट का हिस्सा 1/2 नियत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 581 दिनांक 10.12.2018 ग्राम पापड़ली तहसील मांगरोल जिला बारां को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

अपील पेश होने पर [illegible] जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया [illegible] क्रम 1 ता 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड [illegible] प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:43 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अ[illegible] में अंकित तथ्यों को [illegible] हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में जैरकार वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में दिनांक 11.10.2010 को आदेश पारित किया जाकर ताफैसला

वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाने की निषेधाज्ञा पारित की गई है। वाद के जैरकार रहते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। अतः वाद के निर्णय होने तक इन्तकाल नंबर 581 दिनांक 10.12.2018 खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. अनुपस्थित रहे परन्तु अभिभाषक रेस्पो. ने वक्त निर्णय लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दिनांक 18.11.2020 को पेश की गई थी और अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दिनांक 10.01.2022 को खारिज हो जाने से उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में वास्ते नंबर पर लिये जाने वाद दिनांक 22.08.2022 नियत है जिसमें अभी रेस्पो. की उपस्थिति नहीं आयी है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में विचाराधीन वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2010 को रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई है कि ''ग्राम पापड़ली में स्थित आराजी कुल किता 4 रकबा 2.59 है. एवं ग्राम गोदावरी में स्थित आराजी किता 15 रकबा 9.78 है. भूमि को रहन बेचान किसी व्यक्ति को न करे, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2007 जो कि अप्रार्थी क्रम 12 ता 14 के पक्ष में हुआ है उसके आधार पर अप्रार्थी क्रम 16 इन्तकाल तस्दीक न करे। आराजी की वर्तमान राजस्व स्थिति ताफैसला वाद यथास्थिति रखी जावे।'' अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस के साथ संलग्न प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड न्यायालय में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद दिनांक 10.01.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 10.12.2018 को तस्दीक किया गया। उक्त दिनांक को उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी थी। तहसीलदार द्वारा उक्त दिनांक को अस्थायी निषेद्याज्ञा के प्रभावी रहते हुए, नामान्तरण गलत रूप से तस्दीक किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया वाद दिनांक 08.03.2022 को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बोरदा का नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 10.12.2018 ग्राम पापडली तह. मांगरेाल निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में विचाराधीन वाद के निर्णय अनुरूप पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:43 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारा

जिला कलक्टर बारा (राज०)